:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक/ 476 /टी0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

:: आदेश ::

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्र0 ECI | PN | 23 | 2019 दिनांक 10/03/2019 द्वारा लोक सभा निर्वाचन-2019 हेतु कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । इसी के साथ आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है । म0प्र0 सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1894 के तहत सख्त कार्यवाही की जाना आवश्यक है । राजनैतिक दलों/संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय/निगमण/मण्डल/प्राधिकरण व निजी भवनों पर नारे लिखे जाने, होर्डिंग लगाये जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाएं जाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंबों पर शासकीय, निगम की भूमि पर चुनाव प्रचार से संबंधी झंडिया, डंडे, बैनर लगाये जाने से सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है । अधिनियम की धारा-3 में यह स्पष्ट है कि कोई भी, जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा यह अपराध संज्ञेय होगा ।

अधिनियम की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुवे यह आदेशित किया जाता है कि कोई भी राजनैतिक पार्टी/संस्था/उम्मीदवार/अन्य व्यक्ति किसी भी भूमि व भवन से आशय, राज्य व केन्द्र शासन व उनके उपक्रम, निगम, मंडल, प्राधिकरण तथा निजि व्यक्तियों की भूमि, भवन होंगे, जिसे आगे मात्र भूमि व भवन कहा जायेंगा । को न तो विरूपित करेंगा न ही उस पर कोई लेख करेंगा ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी भूमि या भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे, चित्र लिखकर विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे, चित्र मिटाने के लिए इन्दौर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में "लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से गठित किया जावें । इस दस्ते में नगर निगम या संबंधित क्षेत्र के स्थानीय निकाय के अमले के साथ लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे । यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता स्थानीय एस0डी0एम0/ नगर पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार-टी0आई0/थाना प्रभारी के सीधे

देखी-रेख में कार्य करेंगा ।" इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित् करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक(पुलिस), मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावें । इस दस्ते को नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में अनुभागवार एक-एक वाहन भी उपलब्ध कराया जावे । नगर निगम तथा संबंधित क्षेत्र के स्थानीय निकाय व लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे- गेरू, चूना,कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध करायी जावे । यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक प्रतिदिन भ्रमण कर लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा ।

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्यवाही हेतु अग्रसर होगा ।

थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे । विरूपण समाप्त किये जाने में होने वाले व्यय को राजनैतिक दल, संस्था अथवा विरूपण करने वाले व्यक्तियों से तत्काल वसूल किया जावेगा ।

संबंधित क्षेत्र के एस0डी0एम0 एवं नगर पुलिस अधीक्षक/ एस0डी0ओ0(पी) की लोक सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् कराने की मुख्यतः जवाबदारी होगी । नगर पुलिस अधीक्षक/ एस0डी0ओ0(पी) । उपरोक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सम्बन्धी साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में भेंजेगे ।

(लाकेश कुमार जाटव)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District-Indore (M. P.)

-3

पृ0क्रमांक/ 477 /टी0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग
3. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, इन्दौर ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
5. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर.
7. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/ डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू) इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
9. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /कनाड़िया/ भिचौली हप्सी/खुड़ैल/ डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा संबंधित पटवारियों की ड्यूटी लगाने हेतु ।
10. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनीइंदौर/संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गाधी नगर/खजराना, इन्दौर ।
11. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र0-1/2/ई एण्ड एम/रा0रा0, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/सांवेर/देपालपुर ।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, इन्दौर/ डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/सांवेर/देपालपुर की ओर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की डयूटी लगाने हेतु ।
14. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /कनाड़िया/ भिचौली हप्सी/खुड़ैल/ डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
15. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
16. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रुम, इन्दौर ।
17. थाना प्रभारी, थाना ....जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District Indore (M. P.)